

राजस्थान सरकार
शासन विभाग
जयपुर
डाक संख्या 1485
दिनांक 15/6/21

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 3(16)गृह-1/2017 भाग II

जयपुर, दिनांक 14 JUN 2021

—:: आदेश ::—

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती परीक्षा, 2019 में चयन किये जाने की अनुशंसा के आधार पर इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 07.04.2021 के द्वारा नीचे वर्णित चयनित अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	वर्ग	खण्ड
1.	एम-01	300733	श्रीमती रश्मि कुमारी	24.03.1987	GE.WE	प्रलेख

श्रीमती रश्मि कुमारी का चयन प्रलेख एवं आरसन एवं एक्सप्लोजिव (दो खण्डों) में हुआ जिसके क्रम में इनके द्वारा आरसन एवं एक्सप्लोजिव खण्ड में कार्यग्रहण किया जा चुका है तथा प्रलेख खण्ड में नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं किया है। विभाग द्वारा इन्हें स्मरण पत्र दिनांक 31.05.2021 एवं व्हाट्सअप पर उक्त पत्र की प्रतिलिपि प्रेषित कर सूचित करते हुए, दिनांक 01.06.2021 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया किन्तु श्रीमती रश्मि कुमारी ने आदिनांक कार्यग्रहण नहीं किया है एवं न ही इस संबंध में कोई सूचना दी है।

इस विभाग के तदर्थ नियुक्ति आदेश दिनांक 07.04.2021 के बिन्दु संख्या 19 में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश की दिनांक से 15 दिवस तक भी कार्यग्रहण हेतु रिपोर्ट नहीं करता है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

अतः श्रीमती रश्मि कुमारी द्वारा निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति नहीं दिये जाने के कारण नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं मानते हुए, इस विभाग के आदेश दिनांक 07.04.2021 द्वारा किये गये इनके नियुक्ति आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(रामनिवास मेहता)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपी:— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निदेशक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वैब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राज0 जयपुर।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, पुलिस



